जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.06.2010 को सम्पन्न राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :–

1– श्री जे0एन0 वर्मन, संयुक्त निदेशक, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2– श्री सूर्य प्रकाश मिश्र, विषेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– श्री दिनेश चन्द्र, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
4– श्री ए0के0श्रीवास्तव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
5– श्री अजय स्वरूप श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, नियोजन विभाग।
6– श्री सुखेन्द्र कुमार, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय निदेशालय।
7– श्री के0के0 अग्रवाल, टीम लीडर, पीएमयू।
8– श्री राशिद अहमद खॉं, पीएचई, पीएमयू।
9– श्री आर0के0 मल्होत्रा, पीएचई, पीएमयू।
10– श्री डी0पी0सिंह, मुख्य अभियन्ता (**NURM**), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11– श्री बी0एल0 गौतम,मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
12– श्री बी0पी0सिंह, मुख्य अभियन्ता(लखनऊ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
13– श्री वी0यू0 विश्नोई, मुख्य अभियन्ता(कानपुर क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
14– श्री एम0पी0जैन, मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।
15– श्री सुशील कुमार, मुख्य अभियन्ता(आगरा क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
16– श्री एस0एस0 काज़मी, मुख्य अभियन्ता(इलाहाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
17– श्री एस0डी0राम, मुख्य अभियन्ता(गोरखपुर क्षेत्र)उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर।
18– श्री आर0के0गौड़, विषेषज्ञ, सी0एण्ड डी0एस0, लखनऊ।
19– श्री प्रमेन्द्र श्रीवास्तव, सी0जी0एम0, सी0एण्ड डी0एस0, लखनऊ।
20– श्री अमिताभ त्रिपाठी, अनु सचिव, लोक निर्माण विभाग।
21– श्री नरोत्तम लाल, अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0 बस्ती।
22– श्री निहाल चन्द्र, अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0 रामपुर।
22– श्री अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बस्ती।

बैठक में निम्न परियोजनाओं के संबंध में विचार–विमर्श हुआ:–

1. **रामपुर सड़क एवं ऊपरिगामी सेतु परियोजना:–** अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना की स्वीकृति दिनांक 08.09.2006 को प्रथम राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में प्राप्त हुई थी, जिसकी अनुमानित लागत रू0 89.58 करोड़ है। स्वीकृत लागत के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी रामपुर द्वारा सूचित किया गया है कि एन0एच0ए0आई0 द्वारा इसी प्रकार की एक अन्य योजना कियान्वित की जा रही है तथा उक्त योजना पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत स्वीकृत इस परियोजना पर कार्य कराने का औचित्य नहीं रह जाता है। अतएव वर्णित परिस्थितियों में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि रामपुर सड़क एवं ऊपरिगामी सेतु परियोजना को निरस्त करते हुए परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निम्न परियोजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध भारत सरकार से किया जाय :–

1. अयोध्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना	रू0 287.46 लाख
2. फैजाबाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना	रू0 660.00 लाख
3. बरेली पेयजल परियोजना	रू0 4309.00 लाख
4. सहारनपुर पेयजल परियोजना	रू0 4882.16 लाख

यह भी निर्देश दिए गए है कि उक्त सभी परियोजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन, लो0नि0वि0 के वर्तमान दरों के आधार पर तैयार कराकर पी0एफ0ए0डी0 / व्यय वित्त समिति के अनुमोदनोपरान्त प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार को प्रेषित किए जाना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही– निदेशक, स्थानीय निकाय / उ0प्र0 जल निगम / संबंधित निकाय)

2. **गाजियाबाद सड़क एवं ऊपरिगामी सेतु परियोजना**:– अवगत कराया गया कि गाजियाबाद सड़क एवं ऊपरिगामी सेतु परियोजना की स्वीकृत लागत रू0 90.8767 करोड़ है। परियोजना का कार्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। मूल परियोजना में प्रस्तावित कार्यों में परिवर्तन किया गया है तथा परियोजना की संशोधित लागत रू0 186.0638 आंकलित की गई है। समिति द्वारा विचारोपरान्त गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति से मूल्यांकन कराकर प्रस्तुत करने तथा परियोजना पर आने वाली अतिरिक्त लागत का पूर्ण रूप से वहन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना भारत सरकार को इस संस्तुति के साथ अग्रसारित किये जाने पर इस प्रतिबन्ध के साथ सहमति व्यक्त की गयी कि अतिरिक्त धनराशि का पूर्ण वहन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(कार्यवाही– निदेशक, स्थानीय निकाय/उ0प्र0 जल निगम/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/संबंधित निकाय)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या– 4994/नौ–5–2010–41सा/07
लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, (श्री सहगल), नगर विकास विभाग के अवलोकनार्थ उनके निजी सचिव को।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन/पर्यावरण/वित्त/नियोजन/लोक निर्माण/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, सूडा, लखनऊ।
6. प्रतिनिधि, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. प्रतिनिधि, आईएफ डिवीजन, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. प्रतिनिधि, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. प्रतिनिधि, सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. प्रतिनिधि, टी.सी.पी.ओ., भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. प्रतिनिधि, एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली।
12. महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
13. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
14. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
15. टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी0एम0यू0), इन्दिरा भवन, लखनऊ।
16. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामपुर।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।

MinutsMeet-JNNURM-S1